न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

बिजेन्द्र बनाम नरेन्द्र

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या– 02/34/2023

23.01.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी हाल खाता संख्या 697, आराज़ी खसरा संख्या 417/0.27, 418/0.24, 655/0.44, 656/0.035, 657/0.29, 661/0.32, 662/0.44, 663/0.02, 700/0.07, 701/0.10, 704/0.05, 704/4018/0.01, 741/0.18, 782/0.13, 822/0.13 है० वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर कोई निर्माण कार्य न करें ना ही उक्त आराजी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग अर्थात फसल बोने–जोतने काटने, लाने–ले–जाने आदि में प्रार्थीगण के साथ व्यवधान उत्पन्न करे। मौका की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराज़ी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(बं) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराज़ी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित काश्तकार हैं। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को आराजी हाल खाता संख्या 697, आराजी खसरा संख्या 417/0.27, 418/0.24, 655/0.44, 656/0.035, 657/0.29, 661/0.32, 662/0.44, 663/0.02, 700/0.07, 701/0.10, 704/0.05, 704/4018/0.01, 741/0.18, 782/0.13, 822/0.13 है० वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर से अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.02.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल न करें ना दीगर व्यक्तियों से करावें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 16.02.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

23/7/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 26/7/24 को पेश हो।

रीडर

26.07.24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. वास्ते जवाब प्रतिवादीगण दिनांक 04.10.24 को पेश हो।

SDO

4/10/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 4/11/24 को पेश हो।

रीडर

4/11/24 .... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 3/1/25 ...... को पेश हो।

S.D.O.

3/1/25 पत्रावली पेश। वकुलाय उप. हाजिर। कार्यवाही Not Press में बाद [illegible] पत्रावली की खारिज किया जा चुका है अतः [illegible] [illegible] कार्यवाही की [illegible] [illegible] खारिज किया [illegible] [illegible] [illegible] जाता है बाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

SDO